न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—209 / 2024

प्रार्थीः—

हुकमसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा (राजस्थान)

बनाम

विप्रार्थीः—

01. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा।
02. अनेक कंवर पत्नि गौतमसिंह जाति राजपूत
03. धनुकंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत
04. उककंवर पत्नि सुजानसिंह जाति राजपूत
05. चैनसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
06. भंवरसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
07. मोहनसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
08. लीलाकंवर पत्नि हुकमसिंह जाति राजपूत
09. अणछी पत्नि टीकमाराम जाति सुथार
10. नाबालिग अरविन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह संरक्षक चैनकुवर जाति राजपूत
11. कानाराम पुत्र घेवरराम जाति सुथार
12. खेताराम पुत्र रणछोडा जाति सुथार
13. खीमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत
14. गोविन्दराम पुत्र भीखाराम सुथार
15. चैनकंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत
16. चनणसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत
17. चुनाराम पुत्र पदमाराम जाति सुथार
18. दलपतसिंह पुत्र धुकसिंह जाति राजपूत
19. देवीसिंह पुत्र धुंकसिंह जाति राजपूत
20. दीपा पुत्री टीकमा जाति सुथार
21. धुडी पुत्र टीकमा जाति सुथार
22. नेनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत
23. नरसिंगा पुत्र गणेशा जाति सुथार
24. नारयण पुत्र गणेशा जाति सुथार
25. पकिया पुत्री मगसिंह जाति राजपूत
26. पदमसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत
27. पाबु पुत्र मोडा जाति सुथार
28. पारसमल पुत्र घेवरराम जाति सुथार
29. बदामी पुत्री पूनमा जाति सुथार
30. मु. मजु पतिन घेवरराम जाति सुथार
31. मालसिंह पुत्र धुंकसिंह जाति राजपूत
32. मागाराम पुत्र सवा जाति सुथार
33. मिसराराम पुत्र पदमा जाति सुथार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

34. रूपाराम पुत्र टीकमा जाति सुथार
35. रामा पुत्र कालू जाति सुथार
36. लालसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत
37. श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत
38. हंजारीमल पुत्र घेवराराम जाति सुथार
39. हीरसिंह दत्तक पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
40. हीरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह सिनेर, थानसिंह भायल अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05.03.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 797, 798, 804, 802 व 803 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 1185, 1186, 1153, 1182 व 1183) रकबा क्रमशः 0.0161, 0.2343, 3.5354, 2.6404 व 3.9753 हैक्टेयर भूमि ग्राम कुसीपं तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 426 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 926) रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 48 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 13) रकबा 6.3107 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामदेवनगर तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''हकसिंह पुत्र हेमसिंह'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''हुकमसिह पुत्र हेमसिंह'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हुकमसिंह पुत्र हेमसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 797, 798, 804, 802 व 803 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 1185, 1186, 1153, 1182 व 1183) रकबा क्रमशः 0.0161, 0.2343, 3.5354, 2.6404 व 3.9753 हैक्टेयर भूमि ग्राम कुसीपं

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 426 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 926) रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 48 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 13) रकबा 6.3107 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामदेवनगर तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''हकसिंह पुत्र हेमसिंह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''हुकमसिंह पुत्र हेमसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''हकसिंह पुत्र हेमसिंह'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''हुकमसिंह पुत्र हेमसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 797, 798, 804, 802 व 803 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 1185, 1186, 1153, 1182 व 1183) रकबा क्रमशः 0.0161, 0.2343, 3.5354, 2.6404 व 3.9753 हैक्टेयर भूमि ग्राम कुसीपं तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 426 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 926) रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 48 (सर्वे रिसर्वे पूर्व खसरा संख्या 13) रकबा 6.3107 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामदेव नगर तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''हकसिंह पुत्र हेमसिंह'' के स्थान पर ''हुकमसिंह पुत्र हेमसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)